UPRN010029482026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः–1072/2026

1. शशि कुमार तिवारी उर्फ श्यामजी तिवारी उर्फ छोटू उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र राजेन्द्र नाथ तिवारी निवासी ग्राम रंजीतपुर पोस्ट भाउपुर थाना शिवली कानपुर देहात ।

प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार।

––अभियोजन पक्ष।

अ0सं0 70/2026
धारा 131,115(2),352,351(3),109(1)बी0एन0एस0
एवं 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–शिवली जिला कानपुर देहात।

दिनांक– 19.6.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त शशिकुमार तिवारी की ओर से अ0सं070/2026 धारा 131, 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी0एन0एस0 एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना–शिवली जिला कानपुर देहात ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा प्रदीप सिंह ग्म रंजीतपुर थाना शिवली जिला कानपुर देहात का मूल निवासी है। वादी दिनांक 13.2.2026 दिन शुक्रवार मैथा बैरी शादी समारोह से वापस नहर के रास्ते अपने घर जा रहा था तभी समय करीब 11–00 बजे रात्रि तिलयानी गांव से पहले सुनसान जगह पर पीछे से राहुल सिंह फौजी, दीपक सिंह, रामजी व कुछ अज्ञात काली स्कार्पियों वादी की गाड़ी के सामने खड़ाकर रोक लिया, राहुल सिंह फौजी अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लगाए थे। वादी को रोककर वादी की गाड़ी में बैठे सुरेश सिंह हम दोनों को गाली देने लगे, वादी का कालर पकड़ कर गाली गलौज करने लगे तथा दीपक सिंह भी सुरेश सिंह को मारने लगा। पीछे से आ रहे

लोगों ने तथा वादी की गाड़ी में बैठे जितेन्द्र प्रताप सिंह (पुत्लू) बीच बचाव करा दिया। दिनांक 14.2.2026 को जब वादी व सुरेश सिंह, नरेश सिंह ने इनकी शिकायत अपने परिजनों से कर रहे थे तभी पंचायत भवन के पास श्याम तिवारी उर्फ छोटू गाली गलौज करने लगे। वादी द्वारा मना करने पर अपने घर जाकर 315 बोर का कटटा लोडकर वादी प्रदीप सिंह उर्फ टिंकू, सुरेश सिंह, नरेश सिंह पर सीधे फायर चला दिया, इसके तुरंत बाद तीनों लोगों की हत्या करने हेतु पुनः कटटा लोड कर लिया, उसे तत्काल पकड़कर तमंचा एक जिन्दा कारतूस व एक चलाया गया कारतूस छीन लिया। श्याम तिवारी मौका पाकर भाग गया। पुनः जान से मारने की धमकी दे गया। वादी की रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा जो तमंचा व कारतूस श्याम तिवारी से छीने है। उन्हें थाने पर लेकर आया हूं।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उस रंजिशन उक्त अपराध में नामित किया गया है। वादी मुकदमा जो कि पूर्व प्रधान पति रहा है तथा वादी द्वारा ग्राम समाज की भूमि व प्राइमरी विधालय की जमीन पर भी कब्जा किया गया है जिसके विरूद्व गांव के सभ्रान्त नागरिकों व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी को दिए जा चुके हैं जिस कारण वादी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त से रंजिश रखता है और पुलिस से सांठ–गांठ कर राजनैतिक प्रभाव डालकर उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वादी मुकदमा के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार कानपुर देहात तहसील मैथा के वाद सं0 00554 सन 2018 ग्राम सभा बनाम प्रदीप सिंह अंतर्गत धारा 67 उ0प्र0 राजस्व संहिता अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रणी/तहसीलदार के आदेश दिनांकित 23.7.2018 के बावजूद भी वर्तमान समय में जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। उक्त निर्णय की फोटो कापी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त जिसका उपनाम शशि है ने अपने घर के सामने के रास्ते के विवाद हेतु एक प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी मैथा कानपुर देहात को दिनांक 16.6.2020 को उत्तम सविता के विरूद्व दिया था जिससे रंजिश मानते हुए उत्तम सविता ने प्रदीप सिंह के साथ मिलकर उत्तम सविता की पत्नी से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व एक फर्जी मु0अ0सं0 507/2020 अंतर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 थाना शिवली में दिनाक 1.11.2020 को पजीकृत कराया। प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.6.2020 की प्रार्थना पत्र की छाया प्रति दाखिल कर रहा है। दिनांक 14.2.2026 को समय लगभग 11 बजे प्रातः प्रार्थी/अभियुक्त दूध लेने जा रहा था तभी पंचायत भवन तिरहा ग्राम रंजीतपुर

पर प्रदीप सिंह एवं सुरेश सिंह, सरनाम सिंह, नरेश सिंह, सूरज सिंह, उत्कर्ष सिंह, शिवम सिंह चौहान, छोटू सिंह, सनी सिंह, गुडडू, जयवीर सिंह, कुलदीप सिंह जो कि योजनाबद्व तरीके से देवेन्द्र सिंह उर्फ राहुल को जान से मारने की नियत से घेर लिया था और उससे हाथपाई कर रहे थे तभी शोर सुनकर प्रार्थी/अभियुक्त बीच बचाव करने पहुंचा तो उक्त लोग प्रार्थी/अभियुक्त से हाथापाई करने लगे तभी प्रदीप सिंह ने कटटा निकालकर प्रार्थी/अभियुक्त के माथे पर कटटे की बट से वार किया। प्रदीप सिंह ने प्रार्थी/अभियुक्त को जान से मारने की नियत से प्रार्थी/अभियुक्त के उपर फायर किया तभी प्रार्थी/अभियुक्त ने कटटा छीनने का प्रयास किया और बचाओ–बचाओ चिल्लाया तभी आवाज सुनकर गांव के लोगों को आता देखकर उक्त सभी लोग मां–बहन की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कटटा लेकर भाग गए। प्रार्थी/अभियुक्त को काफी चोटें आई। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता उसी समय थाना शिवली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गए परन्तु थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 18.2.2026 को आई0 जी0 आर0 एस0 शिकायत दर्ज कराई जो कि संलग्नक सं0 6 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13.2.2026 वादी मुकदमाद्वारा दिनांक 13.2.2026 की घटना की कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही कराई गयी है न ही किसी माध्यम से कोई भी शिकायत दर्ज कराई गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह दर्शित है कि वादी मुकदमा द्वारा स्वतः तथाकथित कटटे को पुलिस को देते हुए मुकदमा उपरोक्त में रंगत लाने की नियत से हमला दिखाया गया है। जिससे संगीन अपराध में मुकदमा दर्ज कराया जा सके। प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूप्रयोग कर जेल भेजा जा सके, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई भी आर्म इंजरी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है प्रार्थी/अभियुक्त पर कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्ण विश्वास है कि यदि विवेचनाधिकारी द्वारा निष्पक्ष विवेचना की जाती है तो प्रार्थी/अभियुक्त के निर्दोष होने के कारण उसके विरूद्व माननीय न्यायालय में आरोप पत्र नहीं दाखिल होगा। अतः उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान ए0 डी0 जी0 सी के द्वारा कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त् की घटना कारित की है। विवेचना से सभी अभियुक्त के विरूद्व अपराध की पुष्टि हुई है तथा पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त अपनी गिरफतारी से बचने के लिए जानबूझकर फरार है। विवेचना में अपेक्षित सहयोग

नहीं कर रहा है। साक्ष्य संकलन के क्रम में विवेचना प्रचलित है। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटना का वीडियो विवेचना के दौरान प्राप्त हुआ है जिससे विवेचना में समाहित किया गया है। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व मुताबिक अभिलेख थाना हाजा में निम्नलिखित आपराधिक अभियोग पंजीकृत है।

1– मु0 अ 0 सं0 507/2020 धारा 323,504,506 भा0 दं0 सं0 थाना शिवली कानपुर देहात

2– मु0 अ 0 सं0 257/2024 धारा 351(4)/67 आई 0 टी0 एक्ट थाना शिवली कानपुर देहात

3– मु0 अ 0 सं0 70/2026 धारा 131/ 115(2)/ 352/351(3)/ 109(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम थाना शिवली कानपुर देहात।

प्रार्थी/अभियुक्त की मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की है जिसके द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित की गयी है। अतः जमानत निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

मैंने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान ए 0 डी0 जी0 सी0 के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व धारा 131/115(2)/352/351(3)/109(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम थाना शिवली कानपुर देहात में अभियोग पंजीकृत है तथा प्रार्थी/अभियुक्त नामजद अभियुक्त भी है।

थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा लगातार फरार चल रहा है। विद्वान ए 0 डी0 जी0 सी0 के द्वारा भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुकदमें के विचारण में सहयोग न किए जाने के बावत कथन किया गयाहै और अनुपस्थित रहकर कार्यवाही विलम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **प्रेमशंकर प्रसाद बनाम स्टेट आफ बिहार 2022 (14) एस 0 सी0 सी0 516** में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि अभियुक्त जांच अथवा विचारण में सहयोग नहीं कर रहा हो और वह फरार हो तो अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त फरार चल रहा है तथा विवेचना में सहयोग भी नहीं कर रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दण्ड निर्णय को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दिया

जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शशि कुमार तिवारी उर्फ श्यामजी तिवारी का प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा 482 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 निरस्त किया जाता है।

दिनांक –19.6.2026

(रजत सिन्हा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 नं0 UP 6042